न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 12/2017 अपील

1. खेमराज पुत्र टीपू लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा

अपीलांट

बनाम

1. कैलाश प्रसाद पुत्र नानगराम
2. जगनराम पुत्र नानगराम
3. भरतलाल
4. हंसराज
5. रामचरण
6. मुकेश
7. सतीश
8. दिनेश
(3 से 8) पि. हरफूल
9. मु. जगनी देवी पत्नि हरफूल
(1 से 9) जाति गुर्जर निवासी ग्राम डिगो ढाणी आंधीसील की तहसील लालसोट जिला दौसा
10. तहसीलदार लालसोट जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अ.धा. 75 रा0भू0राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार लालसोट दिनांक 27.10.2016 क्रमांक 3485, 3486, 3487 बाबत तरमीम ख0नं0 1012/395, 1013/395, 1014/395 वाके ग्राम डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री कमलेश कुमार सैनी अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित।
: श्री देवीसिंह चौहान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं.01 लगा0 9 उपस्थित।

–:निर्णय:– दिनांक: 24.7.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 404 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा वकि ग्राम डिगो तहसील लालसोट में स्थित है। उक्त आराजी भूमि के समीप लगती हुई खसरा नम्बर 395 की भूमि का भूभाग स्थित है। अपीलांट की भूमि के समीप स्थित भूमि खसरा नम्बर 395 का काफी भूभाग कई वर्षों पूर्व से गहरे नलों के रूप में मौके पर पड़ा हुआ है। जिस पर वर्षों से वर्षा का पानी बहता रहा है तथा उक्त खसरा नम्बर 395 में से रेस्पोडेन्ट सं0 1 को रकबा 2 बीघा, रेस्पोडेन्ट सं0 2 को रकबा 2 बीघा तथा रेस्पोडेन्ट सं0 3 लगायत 6 के पिता हरफूल को भी रकबा 2 बीघा पूर्व में आवंटित की गई थी। जिसके प्श्चात उक्त भूमि को आवंटी द्वारा कदापि कोई काश्त नहीं किया गया तथा वर्तमान मे रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 9 द्वारा राजस्व एजेन्सी से मिली भगत करके अपीलांट की भूमि के गलत प्रकार से तहसीलदार लालसोट के प्रश्नगत

अति0 जिला कलेक्टर
दौसा

आदेश 27.10.2016 क्रमांक 3485, 3486, 3487 की आड़ में तरमीम करवा ली गई। उक्त तरमीम के आदेश के विरूद्ध यह अपील अपीलांट द्वारा पेश की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि पूर्व में आराजी खसरा नम्बर 395 में रेस्पोडेन्ट सं0 1,2 व 3 लगायत 8 के पिता को गलत प्रकार से किए गये आवंटन में आवंटित भूमि का कब्जा जिस जगह का दिया गया उस जगह को छोड़कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 9 द्वारा अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 404 के भू–भाग को अतिक्रमण करके हड़पने की गर्ज से उसके पास तरमीम करवा ली गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 9 द्वारा नक्शासीट में गलत जगह तरमीम करवाने से अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 404 में आवागमन का वर्षो से चला आ रहा रास्ता बन्द हो गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 9 द्वारा अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 404 के पास वाले भू–भाग पर कदापि कोई कब्जा आवंटन से पूर्व अथवा आवंटन के बाद नहीं रहा। अपीलांट की भूमि खसरा नं0 404 के रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा को अपीलांट द्वारा मौके पर समतल एवं कृषि योग्य बनाकर उस पर कृषि कार्य किया जाता रहा है एवं इसी भूमि में अपीलांट का बोरिंग जिस पर विद्युत कनेक्शन स्थित है। उक्त भूमि के समीप स्थित भू–भाग जो कि खसरा नम्बर 395 में आता है अर्सा पूर्व से ही काफी गहरे नले बने हुए है जो आज भी मौजूद हैं। तहसीलदार लालसोट के प्रश्न आदेश की आड़ लेर गलत जगह बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना मौके की जांच किए विधि विरूद्ध तरीके से तरमीम कर दी गई है। जब रेस्पोडेन्ट्स की भूमि की तरमीम पूर्व में नक्शासीट में की जा चुकी है तो पुनः गलत स्थान पर तरमीम करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट्स कानूनन अधिकृत नहीं थे। अतः अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार लालसोट द्वारा आराजी ख0नं0 1012/395, 1013/395, 1014/395 वाके ग्राम डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा बाबत किए जाने तरमीम आदेश क्रमांक 3485, 3486, 3487 दिनांक 27.10.2016 निरस्त फरमावें तथा उक्त आदेश की आड़ में उक्त भूमियों की नक्शासीट में की गई तरमीम को भी निरस्त फरमावें।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 01 लगा0 9 द्वारा निवेदन किया गया कि तरमीम की गई जगह क्या अपीलांट की खातेदारी की भूमि है। अपीलांट द्वारा किस हैसियत से अपीधीन आदेश को चुनौती दी गई है। यदि रेस्पोडेन्ट्स की नीयत खसरा नम्बर 404 पर कब्जा करने की हो तो अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा कर सकते हैं। तरमीम की अपील नहीं हो सकती है। भू अभिलेख की दरूस्ती दावे से ही हो सकती है। इसलिये अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को भूमि आवंटन आदेश दिनांक 08.06.1992 की पालना में खोले गये नामान्तरकरण सं. 981, 982, 983 की पुस्त पर अंकितानुसार आवंटित भूमि की पूर्व में तरमीम की जा चुकी है। इसलिए पुनः अन्य स्थान पर तरमीम किये जाने का कोई औचित्य नही है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार

अ0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 12/2017 अपील

लालसोट के प्रश्नगत आदेश क्रमांक 3485, 3486, 3487 दिनांक 27.10.2016 एवं इनकी पालना में की गई तरमीम को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस आशय के साथ तहसीलदार लालसोट को रिमाण्ड किया जाता है कि अप्रार्थीगण को भूमि आवंटन आदेश दिनांक 08.06.1992 की पालना में खोले गये नामान्तरकरण सं. 981, 982, 983 की पुस्त पर अंकित नक्शा अनुसार आवंटित भूमि की तरमीम करवायी जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट का मूल रिकार्ड वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.7.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official